

प्रेषक,

लाइसेंसिंग अधिकारी,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएँ,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में

मैसर्स दिव्य फार्मसी,
प्लॉट नं0 ए-01,
औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार।

संख्या-1373-74 / डी-54 / 2020-2021

दिनांक 12 जून, 2020

विषय-
महोदय,

अतिरिक्त योगों के निर्माणार्थ अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।


उपर्युक्त विषयक आपके पत्रों दिनांक 09.06.2020 एवं दिनांक

- | |
|-----------------------------|
| 1- DIVYA CORONIL TABLET |
| 2- DIVYA SWASARI VATI 540MG |
| 3- DIVYA SWASARI VATI 350MG |

06.06.2020 के साथ प्राप्त अतिरिक्त
औषधियों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न
करते हुए निवेदन है कि औषधि नियंत्रक /

लाइसेंसिंग अधिकारी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा प्रेषित औषधि
निर्माणार्थ लाइसेंस संख्या **Uttra.Ayu-67/2005** में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन
क्रमांक 01 से क्रमांक 03 पर अंकित स्वानुभूत योगों को आयुर्वेदिक औषधि के रूप में निर्माण
करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय


(डॉ० यशेन्द्र सिंह रावत)
लाइसेंसिंग अधिकारी ✓

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-औषधि निरीक्षक / जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी हरिद्वार को उक्त की एक
प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ० यशेन्द्र सिंह रावत)
लाइसेंसिंग अधिकारी